



भारतीय खाद्य निगम, क्षेत्रीय कार्यालय,  
विधानसभा रोड, कापा, रायपुर छत्तीसगढ़  
492005 Ph.: 0771-4046190, फैक्स: 0771-4070119  
ईमेल: [srmcg.fci@nic.in](mailto:srmcg.fci@nic.in)

## एफसीआई, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सुरक्षा प्रहरी (Watchman) की भर्ती

विज्ञापन संख्या.: ईएसटीटी आईवी/डीआर-सुरक्षा प्रहरी/2017

खाद्य पदार्थों की आपूर्ति-शृंखला प्रबंधन से अधिभार रखने वाले सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), छत्तीसगढ़ राज्य में अपने डिपो और कार्यालयों में सीधी भर्ती के तहत सुरक्षा प्रहरी के पदों के लिए वर्ग- IV पेशेवरों की नियुक्ति के इच्छुक हैं। पात्र उम्मीदवारों से केवल ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो नीचे उल्लिखित पद के लिए निर्धारित योग्यताएँ, आयु, अनुभव आदि के मानदंड पूर्ण करते हैं: -

### 1. छत्तीसगढ़क्षेत्र के लिए प्रस्तावित रिक्तियाँ:

पद का नाम	पद कोड	वेतन का स्केल (आईडीए पैटर्न)	अधिकतम आयु (01/08/2017 को)	अ. जा.	अ.ज. जा.	अ.पि. व.	अ नार क्षि त	कुल	विकलांगता वाले व्यक्ति/ विकलांग व्यक्ति	पूर्व सैनिक
चौकीदार (वर्ग IV पद के तहत)	01	रु. 8100-18070	18- 25* Years	13	35	03	53	104	1 (HH)	27
कुल				13	35	03	53	104	1	27

\* पात्र श्रेणी के लिए उम्र में छूट - नियमों के अनुसार

**कृपया ध्यान दें:** प्रशासनिक अपेक्षाओं और एफसीआई प्रबंधन के निर्णय के अनुसार रिक्त पदों की कुल संख्या भिन्न हो सकती है। यदि रिक्त पदों की संख्या घटती है तो उम्मीदवार को पद के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

ऑनलाइन पंजीकरण की अवधि: **14.08.2017**

लिखित परीक्षा की तिथिहोगी: **24.09.2017**

**यूआर - अनारक्षित ; एससी - अनुसूचित जाति ; एसटी - अनुसूचित जनजाति ; ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग ; पीडब्ल्यूडी / पीएच - विकलांग व्यक्ति / शारीरिक रूप से विकलांग। श्रवण-बाधित (उपयुक्त सहायक उपकरणों के साथ)**

पीडब्ल्यूडी / पीएच / पूर्व सैनिक वर्ग के लिए क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। (पूर्व सैनिक जिन्होंने पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ उठाकर नियमित रूप से समूह 'सी' और 'डी' पदों में केंद्रीय सरकार के तहत नागरिक पक्ष में रोजगार प्राप्त कर लिया है वे पुनः रोजगार के लिए दिए जाने वाले शुल्क पर रियायत के पात्र नहीं हैं तथा पूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभों के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। हालांकि, वे केवल आयु में रियायत के पात्र हैं।)

40% या उससे अधिक की विकलांगता स्तर वाले व्यक्ति पीडब्ल्यूडी / पीएच श्रेणी के लिए निर्धारित पदों के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं अर्थात् वीएच-दृष्टि आधारित विकलांग, एचएच- श्रव्य विकलांग, ओएच- अस्थि आधारित विकलांग।

## 2. 01/08/2017 को शैक्षिक योग्यता

पद कोड	पद का नाम	योग्यता
01	सुरक्षा प्रहरी	मध्यम स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण (VIII कक्षा)

उम्मीदवार जो क्वालीफाइंग परीक्षा में उपस्थित रह रहे हैं या उनके उत्तीर्ण / परिणाम का प्रमाण 01.08.2017 तक घोषित नहीं है, वे पद लागू करने के लिए पात्र नहीं हैं।

### उम्र के मानक (आरक्षण और छूट):

- निर्धारित योग्यता और आयु सीमा 01.08.2017 (सामान्य उम्मीदवारों के लिए 18 से 25 वर्ष) के रूप में गणना की जाएगी।
- आयु में छूट: आयु में छूट भारत सरकार के नियमों के अनुसार होगी। ऊपरी आयु सीमा में छूट केवल तब ही स्वीकार्य है जब आवेदक ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में यह दावा करता है और श्रेणी कोड को भी ठीक से भरता है। ऊपरी आयु सीमा में छूट योग्य श्रेणियों के आवेदकों के लिए निम्न रूप से स्वीकार्य है:

कोड संख्या	श्रेणी	आयु सीमा में छूट ऊपरी आयु सीमा के आगे अनुमन्य
01	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
02	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 वर्ष (क्रीमी लेयर के तहत आने वाले ओबीसी उम्मीदवारों के लिए पूर्वोक्त आरक्षण और छूट लागू नहीं होती है।)
03	पीएच	10 वर्ष
04	पीएच+ अन्य पिछड़ा वर्ग	13 वर्ष (क्रीमी लेयर के तहत आने वाले ओबीसी उम्मीदवारों के लिए पूर्वोक्त आरक्षण और छूट लागू नहीं होती है।)
05	पीएच+ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	15 वर्ष
06	समूह ए और बी पदों के लिए ईसीओ / एसएससीओ सहित पूर्व सैनिक और आयोग के अधिकारी	<p>(a) पांच साल इस शर्त के अधीन कि आवेदन प्राप्त करने के लिए 01/08/2017 को एक भूतपूर्व सैनिक द्वारा सशस्त्र बलों में निरंतर सेवा प्रदान किये जाने का साक्ष्य के छह महीने से कम नहीं है। यह छूट ईसीओ / एसएससीओ के लिए भी उपलब्ध है, जिन्होंने अपनी पांच साल की सैन्य सेवा के कार्यकाल की कार्यवाही पूरी कर ली है और जिनकी कार्यवाही को 01/08/2017 को पांच साल से अधिक की अवधि तक बढ़ा दिया गया है और जिनके मामले में सुरक्षा मंत्रालय उन्हें प्रमाण पत्र जारी करेगा कि नियुक्ति के प्रस्ताव की प्राप्ति की तारीख से चयन के 3 महीनों के भीतर उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जायेगा इस पैरा के तहत आयु की छूट का दावा करने वाले उम्मीदवारों को आयोग को निर्धारित स्वरूप में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।</p> <p><b>नोट:</b> पूर्व सैनिक जिन्होंने केंद्रीय सरकार के तहत पहले से ही एक लोक सेवा पद के रूप में नियमित रोजगार प्राप्त कर लिया है, केंद्रीय सरकार के तहत किसी भी उच्च पद या सेवा में एक और रोजगार हासिल करने के लिए पूर्व-सैनिकों के लिए अनुमन्य आयु में छूट के लाभ के अनुसार अनुमति के पात्र हैं। हालांकि, केंद्रीय सरकार की नौकरियों में यदि कोई आरक्षण लाभ पूर्व सैनिकों के लिए है तो ऐसे उम्मीदवार आरक्षण के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।</p> <p>(b) ऊपर (ए) के तहत रियायत के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, संबंधित उम्मीदवारों को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी कि उन्हें रक्षा बलों से सेवामुक्त किया गया है। ईसीओ / एसएससीओ सहित पूर्व सैनिकों और कमीशन अधिकारियों का प्रमाण पत्र नीचे निर्दिष्ट उचित अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित</p>

07	कश्मीर डिवीजन में नियुक्त किए गए जम्मू-कश्मीर के राज्य से	<p>होना चाहिए और रक्षा बलों में सेवा की अवधि भी निर्दिष्ट होनी चाहिए: -</p> <p><b>1. (ईसीओ / एसएससीओ सहित कमीशन अधिकारियों के मामले में:</b>  सेना: कार्मिक सेवाएं निदेशालय , सेना मुख्यालय , नई दिल्ली। नौसेना: कार्मिक सेवाएं निदेशालय नौसेना मुख्यालय, नई दिल्ली। वायु सेना: कार्मिक सेवाएं निदेशालय, वायु मुख्यालय, नई दिल्ली।</p> <p><b>2. जेसीओ / ओआर और नौसेना और वायु सेना के समतुल्य मामलों में:</b>सेना: विभिन्न रेजिमेंटल रिकॉर्ड कार्यालयों द्वारा। नौसेना: नौसेना रिकॉर्ड्स, बॉम्बे वायु सेना: वायु सेना रिकॉर्ड्स, नई दिल्ली</p> <p>01-01-1890 से 31-12-1989 की अवधि के दौरान जम्मू-कश्मीर राज्य में आम तौर पर कश्मीर विभाजन में अधिवासित किया गया था, उन लोगों के लिए आयु 5 साल से भी कम है। किसी भी आवेदक में इस श्रेणी के तहत छूट का इच्छुक होने के लिए कश्मीर डिवीजन में जिला मजिस्ट्रेट का एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा जिस अधिकार क्षेत्र में वह सामान्य रूप से रहते थे।</p>
----	---	--

**नोट- I:** पूर्व सैनिक जिन्होंने पूर्व सैनिकों के लिए उनके पुनः रोजगार प्राप्ति के लिए आरक्षण के लाभों का लाभ उठाने के बाद नियमित रूप से केंद्र सरकार के तहत लोकसेवा पक्ष में रोजगार प्राप्त कर लिया है , वे शुल्क रियायत के या ईएक्सएस श्रेणी के तहत आरक्षण का दावा करने के लिए पात्र नहीं हैं हालांकि, वे नियमों के अनुसार आयु में छूट के लिए पात्र हैं।

**नोट- II:** सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक के "कॉल अप सर्विस" की अवधि भी नियमों के अनुसार आयु में छूट के उद्देश्य के लिए सशस्त्र बलों में दी गई सेवा के रूप में मानी जाएगी।

**नोट- III:** संघ के तीन सशस्त्र बलों के सैनिक के रूप में माने जाने वाले किसी भी सैनिक के लिए ,आरक्षण के लाभ हासिल करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक के रूप में व्यवहार प्राप्त करने के लिए , उन्होंने पहले ही पद/ सेवा के लिए प्रासंगिक समय पर अपने आवेदन जमा करने पर , भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति अधिग्रहित कर ली हो और / या सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्राप्त अधिग्रहित शीर्षक को स्थापित करने की स्थिति में हों , कि वह सशस्त्र बलों में सेवा की निर्दिष्ट अवधि को **आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि** से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा करेंगे या अन्यथा कदाचार या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या छुट्टी के माध्यम से पूर्ण करेंगे।

**नोट-IV:** एक पूर्व सैनिक या पीएच श्रेणी के उम्मीदवार जो आराम से मानकों के आधार पर उत्तीर्ण होते हैं आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, लिखित परीक्षाओं में आदि, को रिक्त पदों के खिलाफ गिनती की जानी है और चयन के लिए ऐसे उम्मीदवारों की फिटनेस के अधीन सामान्य रिक्तियों के खिलाफ नहीं है। पूर्व सैनिकों के अब तक के मामलों में चिंतित हैं, पूर्व सैनिकों की उम्र से छूट आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए स्वीकार्य होती है और इस तरह की छूट को उम्र के संदर्भ में ढीले मानकों के रूप में नहीं कहा जा सकता है।

**स्पष्टीकरण 1:** पूर्व सैनिकों का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने किसी भी रैंक में सेवा की है , चाहे वह नियमित सेना , नौसेना, भारतीय संघ के वायुसेना में एक योद्धा के रूप में नॉन-कबातांत हो , और अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हो। इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने अपने अनुरोध पर सेवानिवृत्त हुए लेकिन अपनी पेंशन अर्जित की; या

- चिकित्सा सेवा परिस्थितियों के कारण चिकित्सा के आधार पर इस तरह की सेवाओं से उनके नियंत्रण से परे रिहा / हुआ है और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया है; या
- स्थापना में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से अपने स्वयं के अनुरोध पर, अन्यथा, जारी किया गया है; या
- सेवा के विशिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद इस तरह की सेवा से मुक्ति मिली हो , अन्यथा अपने स्वयं के अनुरोध से या गैरकानूनी या अक्षमता के कारण बर्खास्तगी या निर्वहन के माध्यम से , और उसे गैरच्युटी दी गई है ; और निम्नलिखित श्रेणियों की क्षेत्रीय सेना के कर्मियों में शामिल हैं, अर्थात्: -
  - पेंशन होल्डर्स जिन्होंने ने लगातार काम किया हो
  - विकलांग व्यक्तियों के साथ सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति; तथा
  - शौर्य से सम्मानित विजेताओं।

**स्पष्टीकरण2:** संघ के सशस्त्र बलों में सेवा करने वाले व्यक्ति, जो सेवा सेवानिवृत्ति पर होते हैं, पूर्व सैनिकों की श्रेणी में आते हैं, निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने से पहले एक साल पहले पुन रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और स्वयं के सभी लाभ ले सकते हैं :

पूर्व सैनिकों के लिए रियायतें उपलब्ध हैं लेकिन जब तक वे यूनिन के सशस्त्र बलों में विशिष्ट जुड़ाव की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**नोट-V:** पूर्व सैनिकों के बेटों, बेटियों और पूर्व सैनिकों के परिवार के लिए आयु की रियायत स्वीकार्य नहीं है।

कृपया ध्यान दें:

1. विभागीय कर्मचारी के मामले में कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी। (एफसीआई)
2. क्रीमी लेयर के तहत आने वाले ओबीसी उम्मीदवारों के लिए पूर्वोक्त आरक्षण और छूट लागू नहीं होती है।
3. विधवा विधवाओं / तलाकशुदा लड़की / महिलाओं के मामले में आयु में छूट , जो न्यायिक रूप से अलग हो गए हैं और जिनकी दुबारा शादी नहीं हुई है 35 वर्ष, 38 वर्ष और 40 वर्ष अनारक्षित, ओबीसी और एसटी / एससी उम्मीदवारों के लिए भी आयु की छूट है।

## **1. चयन प्रक्रिया:**

चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा शामिल होगी, इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जावेगी

**लिखित परीक्षा का स्वरूप:**

**लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र शामिल होगा:**

लिखित परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षण 120 मिनट अवधि का होगा और इसमें सामान्य ज्ञान और बुनियादी गणित में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि मध्यम स्तर (आठवीं मानक) तक के हो सकते हैं।

- (i) लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र द्विभाषी होगा , अर्थात अंग्रेजी और हिंदी में। सामान्य हिंदी प्रश्नों को छोड़कर जो केवल हिंदी भाषा में होंगे।
- (ii) सभी प्रश्नों को 1 (एक) अंक लेते हैं और कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा।

**नोट-1.**भौतिक धीरज परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के संबंध में मूल प्रशंसापत्र की पुष्टि बाद में की जाएगी

**नोट 2:** सफल कैंडिडेट को शारीरिक धीरज परीक्षण के लिए चुना जाएगा। शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या लिखित परीक्षा में योग्यता के आधार पर रिक्त पदों की संख्या की अधिकतम तीन गुणा होगी। एक उम्मीदवार को चयन के लिए उपस्थित होने के लिए भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में शामिल होना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे संपर्क में रहें वेबसाइट: [www.fcicgjobs.com](http://www.fcicgjobs.com)

**शारीरिक सबलता परीक्षण के स्वरूप:(केवल योगता उद्देश के लिए):**

**मानक:**

**पुरुष उम्मीदवारों के लिए:**

1. दौड़-4 मिनट 30 सेकंड में 1000मी
2. लम्बी कूद - 4.00 मीटर (3 प्रयास में)
3. ऊँची कूद- 1.20 मीटर (3 प्रयास में)

**महिला उम्मीदवारों के लिए:**

1. दौड़-4 मिनट 30 सेकंड में 800मी
2. लम्बी कूद - 2.50 मीटर (3 प्रयास में)
3. ऊँची कूद- 1.00 मीटर (3 प्रयास में)

कृपया ध्यान दें:

1. लिखित परीक्षा में चुने गए उम्मीदवारों के लिए केवल शारीरिक दक्षता का परीक्षण किया जाएगा।
2. शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों को वेबसाइट के माध्यम से पीईटी के स्थल के बारे में सूचित किया जाएगा। उन्हें [www.fcicgjobs.com](http://www.fcicgjobs.com) के माध्यम से संपर्क में रखने की सलाह दी जाती है।
3. शारीरिक दक्षता परीक्षा में योग्यता प्राप्त करने के लिए लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर चुने हुए उम्मीदवारों के लिए अंतिम योग्यता सूची तैयार की जाएगी। केवल पीईटी में योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चयन के लिए विचार किया जाएगा।
4. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय जाँच के लिए सभी मूल दस्तावेजों को ले जाना चाहिए।
5. शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने के समय नामांकित सर्जरी चिकित्सक से फिटनेस सर्टिफिकेट , आंख / दृष्टि परीक्षण के साथ शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार द्वारा लाया जाना चाहिए , जिसके बिना उम्मीदवार के पद को रद्द किया जा सकता है।
6. पीएच उम्मीदवार के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट दी गई है।
7. यदि उम्मीदवारों की अपेक्षित संख्या रिक्त पदों को भरने के लिए योग्य नहीं है , तो सक्षम प्राधिकारी के निर्णय पर , शारीरिक दक्षता परीक्षा एक अतिरिक्त सूची तैयार करेगी जो लिखित परीक्षा के योग्यता के आधार पर तैयार की जायेगी।
8. एफसीआई को लिखित परीक्षा / स्क्रीनिंग टेस्ट के अतिरिक्त चरण को सम्मिलित करने का अधिकार आरक्षित है लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर और उम्मीदवारों की जांच के लिए परिस्थितियां ऐसे उम्मीदवारों की संख्या को केवल एफसीआई द्वारा तय किया जाएगा

महत्वपूर्ण सूचना / निर्देश (कृपया वेबसाइट देखें): [www.fcicgjobs.com](http://www.fcicgjobs.com)

ऑनलाइन आवेदन भरने और जमा करने की प्रक्रिया: (वेबसाइट देखें)

ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को भरे हुए विवरण का पूर्वावलोकन देखना चाहिए ताकि आवश्यक हो तो उसे संपादित किया जा सके। आवेदन जमा करने के बाद, कोई अतिरिक्त / संशोधन करने की अनुमति नहीं होगी।

1. उम्मीदवार वेबसाइट [www.fcicgjobs.com](http://www.fcicgjobs.com) में उल्लिखित लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन ऐप्लिकेशन पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
2. उम्मीदवार विभिन्न अनुभाग देख सकते हैं अर्थात् विज्ञापन के पंजीकरण के लिए तैयार किए गए लिंक के साथ-साथ विज्ञापन , प्रेस विज्ञप्ति, नमूना दस्तावेज (जाति प्रमाणपत्र प्रारूप / पीएच प्रमाणपत्र प्रारूप / पूर्व सैनिक प्रमाणपत्र प्रारूप / घोषणा आदि) , हेल्पलाइन नंबर, संपर्क विवरण, फार्म के और आगे की प्रक्रिया आदि को देख सकते हैं।
3. पहली बार उपयोग करने वाला व्यक्ति नये पंजीकरण लिंक पर क्लिक करेगा और विवरण के अनुसार सही विवरण भरेगा।
4. पंजीकरण भाग को पूरा करने के बाद , उम्मीदवार को पंजीकृत मेल पते पर ई-मेल के माध्यम से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा। लॉग इन स्क्रीन पर एक ही आईडी और पासवर्ड प्रदर्शित किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे यूजर आईडी और पासवर्ड को नोट करें और इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को अपने अभिलेखों और भविष्य के संदर्भ के लिए पंजीकृत आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की सलाह दी जाती है।
5. पंजीकरण भाग के बाद उम्मीदवार फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी रख सकता है या पंजीकरण भाग को लॉग आउट कर सकता है।
6. पहले से पंजीकृत उम्मीदवार मौजूदा यूजर लिंक पर क्लिक करेंगे और फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए सही यूजर आईडी और पासवर्ड भरेंगे। गलत यूजर आईडी / पासवर्ड के मामले में फॉरगॉट पासवर्ड लिंक पर क्लिक करें।
7. उम्मीदवार से आवेदन पोर्टल में वर्णित नाम / आयु / लिंग / जाति / पते / शैक्षिक योग्यता और अन्य संबंधित क्षेत्रों से संबंधित सही विवरण भरने का अनुरोध किया जाता है। उम्मीदवारों को केवल वांछित प्रारूप में प्रासंगिक दस्तावेज / फोटो

अपलोड करने की सलाह दी जाती है।

8. विवरण सही तरीके से भरे जाने पर, उम्मीदवार शुल्क का भुगतान करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
9. एक बार जब कोई उम्मीदवार सबमिट बटन पर क्लिक करता है तो भुगतान के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों के साथ एक पृष्ठ, एक भुगतान संदर्भ संख्या और आवेदन शुल्क का भुगतान करने के लिए एक लिंक खुलेगा। उम्मीदवार कृपया नोट कर सकते हैं कि जब तक वे आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करते हैं, उनके आवेदन को इन्कम्प्लीट (अपूर्ण) रूप में माना जाएगा। उम्मीदवार जो बाद के चरणों में भुगतान करना चाहते हैं, वे फिर से लॉगिन करने के लिए इस भुगतान संदर्भ संख्या का उपयोग कर सकते हैं और पंजीकरण पूरा करने के लिए भुगतान कर सकते हैं।
10. एक बार उम्मीदवार भुगतान करने के बटन पर क्लिक करता है, तो साइट उन्हें भुगतान गेटवे साइट पर पुनः निर्देशित कर देगी। एसबीआई साइट पर भुगतान के लिए कई विकल्प एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग, अन्य प्रमुख बैंक की इंटरनेट बैंकिंग; डेबिट / क्रेडिट कार्ड आदि उपलब्ध हैं।
11. अभ्यर्थी जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग जैसे भुगतान के किसी भी ऑनलाइन विधि का चुनाव करते हैं: सफल भुगतान करने के बाद पंजीकृत आवेदन पत्र के निर्माण हेतु उन्हें तुरंत [www.fcicgjobs.com](http://www.fcicgjobs.com) पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने अभिलेखों और भावी संदर्भ के लिए पंजीकृत आवेदन पत्र का प्रिंट लेने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार आवेदन शुल्क का भुगतान करने वाले उम्मीदवारों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। परीक्षा की तारीख से 10 दिन पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण संख्या सहित जन्म तिथि का भी उपयोग किया जा सकता है, जिसे नामित वेबसाइट [www.fcicgjobs.com](http://www.fcicgjobs.com) में भी सूचित किया जाएगा।

नोट: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है। इसलिए, वे सीधे सबमिट बटन पर क्लिक कर सकते हैं। यदि वांछित उम्मीदवार अंतिम रूप से जमा करने से पहले विवरण को संपादित कर सकता है। फॉर्म जमा होने के बाद आवेदन फॉर्म में परिवर्तन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं होगा। चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, पे ऑर्डर्स, बैंकर चेक, पोस्टल स्टाम्प, आदि, आवेदन शुल्क के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

आवेदन शुल्क के लिए चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, पे ऑर्डर, बैंकर चेक, पोस्टल स्टाम्प आदि स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

उम्मीदवार जो भुगतान के नकद मोड के लिए विकल्प चुनता है। जैसे: ई-चालान: एक चालान दो प्रीतियों में होगा (एक बैंक की कॉपी और एक उम्मीदवार की कॉपी) बैंक चालान के प्रिंट आउट के बाद, उम्मीदवार को कामकाजी घंटे / दिन में निकटतम एस बी आई शाखा में जाना होगा। और भुगतान की तारीख से पहले भुगतान करना होगा। भुगतान करने के बाद, उम्मीदवार को उम्मीदवार की चालान की प्रतिलिपि प्राप्त होगी, जो व्यवस्थित रूप से जर्नल संख्या के साथ मुद्रांकित हो। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित हिरासत में चालान बनाये रखें। चालान भुगतान करने के बाद, किसी उम्मीदवार को भुगतान की स्थिति की जाँच के लिए 24 घंटों के न्यूनतम के बाद वेबसाइट [www.fcicgjobs.com](http://www.fcicgjobs.com) पर जाना चाहिए। यदि भुगतान की स्थिति को सफलतापूर्वक अपडेट किया जाता है तो वह फॉर्म भरने की प्रक्रिया को जारी रख सकता है और वह उसी को जमा करेगा।

#### संभावित कार्यक्रम

1.	ऑनलाइन आवेदन फार्म का प्रस्तुतीकरण शुरू होगा	से : दिनांक: <b>14.08.2017</b> 10:00 बजे (आईएसटी)
2.	भुगतान करने के लिए आवेदन शुल्क: ₹ 250.00 (बैंक शुल्क को छोड़कर) *अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूडी(पीएच) और महिला उम्मीदवार/ पूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छुट दी गयी है।	<ul style="list-style-type: none"><li>प्रमुख बैंक के इंटरनेट बैंकिंग / डेबिट / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि: <b>07.09.2017</b>, 23:59 घंटे</li><li>बैंक चालान: <b>08.09.2017</b>.</li></ul>

3.	ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि	तक: दिनांक: <b>07.09.2017</b> 23:59 बजे (आईएसटी)।
4.	वेबसाइट पर प्रवेश पत्र की उपलब्धता	<ul style="list-style-type: none"> <li>परीक्षा की उद्घोषित तारीख से 10 दिन पहले</li> </ul>
5.	लिखित परीक्षा की तिथि	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>24.09.2017</b></li> </ul>

नोट: इस विज्ञापन के लिए शुद्धि या परिशिष्ट, यदि कोई हो, तो वेबसाइट [www.fcicgjobs.com](http://www.fcicgjobs.com) पर ही प्रकाशित किया जाएगा। नियमित रूप से अद्यतन होने के लिए अभ्यर्थी वेबसाइट [www.fcicgjobs.com](http://www.fcicgjobs.com) के माध्यम से संपर्क में रह सकते हैं।

ऑनलाइन पंजीकरण केवल 10:00 बजे से 14.08.2017 दिनांक 07.09.2017, 23: 59 बजे तक सक्रिय रहेगा।

जिन अभ्यर्थियों ने अपना भुगतान संदर्भ संख्या तैयार की है, उन्हें 07.09.2017 द्वारा भुगतान करने के लिए सभी प्रयास करना चाहिए।

अंतिम समय के भीड़ से बचने के लिए, उम्मीदवार को पहले से ही पर्याप्त रूप से आवेदन करने की सलाह दी जाती है। एफसीआई किसी भी नेटवर्क की समस्या या किसी अन्य समस्या के लिए ऑनलाइन आवेदन की अनुमति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि उम्मीदवारने अपने आंकड़े प्रस्तुत किये हैं लेकिन आवेदन शुल्क जमा नहीं की है तो उसका पंजीकरण प्रक्रिया तैयार नहीं होगी और इसे प्राप्त नहीं किया

**महत्वपूर्ण जानकारी / निर्देश (कृपया वेबसाइट देखें):**

- केवल छत्तीसगढ़ क्षेत्र के भीतर पद के लिए अपनी योग्यता के आधार पर, उम्मीदवार को उसके द्वारा आवेदन किये गए पद के लिए विचार किया जाएगा।
- योग्यता मानदंड में स्पष्ट रूप से वर्णित की गयी योग्यताओं के अलावा अन्य कोई भी योग्यता स्वीकार नहीं की जाएगी।
- लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र, जो प्रत्येक उम्मीदवार के लिए परीक्षा का समय और स्थान दर्शाता है,

[www.fcicgjobs.com](http://www.fcicgjobs.com) से परीक्षा की तारीख से 10 दिन पहले डाउनलोड किया जा सकता है। अभ्यर्थी, जो परीक्षा की तारीख से कम से कम एक हफ्ते पहले अपने प्रवेश पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें ईमेल आईडी [fciraipurquery@gmail.com](mailto:fciraipurquery@gmail.com) पर संपर्क करना चाहिए। फिर भी अगर शिकायतों को संबोधित नहीं किया जाता है तो उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करने के प्रमाण पत्र के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। समूह चर्चा और साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों के बारे में सूचना वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके लिए उम्मीदवार वेबसाइट के माध्यम से संपर्क में रह सकते हैं।

**सामान्य जानकारी / निर्देश:**

1) **राष्ट्रीयता:** निगम की सेवा में नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार होगा:

- भारत का नागरिक या
- नेपाल की प्रजा या
- भूटान की प्रजा या

(iv) एक तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से व्यवस्थित होने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आए। या

(V) भारतीय मूल के एक व्यक्ति जो स्थायी रूप से भारत में व्यवस्थित होने के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, युगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे, इथियोपिया और वियतनाम से आये हैं।

- 2) उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर सूचित करना चाहिए कि क्या वे अल्पसंख्यक समुदायों में से हैं , जो कि सरकार द्वारा, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या पारसी के रूप में अधिसूचित हैं।
- 3) सभी पदों में आईडीए स्वरूप आधारित वेतनमान और सामान्य भत्ते जैसे कि फ्रिंज बेनिफिट , एचआरए, यात्रा अवकाश सुविधायें आदि का अनुपालन होता है। इन वेतनमानों में डीए को प्रतिशत के आधार पर ले लिया गया है। नियुक्ति के स्थान के आधार पर सकल प्रतिभूतिकरण अलग-अलग होंगे।
- 4) छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एफसीआई की सेवाओं में नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण योग्यता के आदेश के आधार पर किया जायेगा, जिसमें उन्हें नियुक्ति के लिए अंत में चुना जाता है। वे क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य में तैनात किये जायेंगे जिसके खिलाफ उनका चयन किया जाता है। अधिकारियों की वरिष्ठता क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में बनाया रखा जायेगा।
- 5) केन्द्रीय / राज्य सरकार के कर्मचारी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और विभागीय उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। उनकी उम्मीदवारी आवश्यक पात्रता मानदंडों की पूर्ति और यह सुनिश्चित करने के अधीन है कि वे अपने नियोक्ता से समाप्ति की तारीख को या उससे पहले 'अनापति प्रमाण पत्र' प्राप्त कर लें, जिसे लिखित परीक्षा के आधार पर उनके चयन होने पर अन्य अनिवार्य संलग्नकों के साथ नामित पते / वेबसाइट पर भेजे जाने / अपलोड करने की आवश्यकता होगी जिसे नामित वेबसाइट [www.fcicgjobs.com](http://www.fcicgjobs.com) के माध्यम से सूचित / अधिसूचित किया जाएगा।
- 6) विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद सावधानी से अभ्यर्थियों द्वारा विकल्प का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और पदों के लिए निर्धारित योग्यता शर्तों , शैक्षिक योग्यता आदि को पूरा करने का ध्यान देना चाहिए। एक बार जो विकल्प चुना गया है वह अंतिम होगा और उसमें कोई भी परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।
- 7) उम्मीदवारों को कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है , जब तक विज्ञापन में निर्दिष्ट न हो। इसलिए इन उपकरणों को परीक्षा परिसर / स्थल के अंदर ही नहीं लाया जाना चाहिए।

लिखित परीक्षा में विषय वस्तु आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे। उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र लिखना/ अपने हाथों से जवाब इंगित करना चाहिए। विषय वस्तु आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए , ओमआर उत्तर शीट प्रदान की जाएंगी। ओएमआर उत्तर शीट को, नीले/ काले बॉल प्वाइंट पेन के साथ ही ओएमआर उत्तर शीट में दिए गए निर्देशों के अनुसार भरा जाना है। उम्मीदवारों को उनके नाम , जन्म तिथि, रोल नंबर, पंजीकृत आवेदन संख्या , और प्रश्न पुस्तिका आदि को ठीक से गोलों/ बक्से को काला करके ओमआर उत्तर पत्रक पर चिह्नित करना आवश्यक है। उम्मीदवारों को चलते हुए हाथों से उनके नाम पर हस्ताक्षर करने और उत्तरपत्रकों पर बाएं हाथ के अंगूठे का छाप लगाने की आवश्यकता है। उम्मीदवार के नाम के लिए उम्मीदवार के नाम , रोल नंबर, हस्ताक्षर, एलटीआई आदि से रहित उत्तर शीटों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और इनको शून्य अंक दिए जायेंगे। यदि आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई उम्मीदवार ओएमआर उत्तर शीट में अपनी श्रेणी को ठीक से नहीं लिखता है तो उन्हें अनारक्षित श्रेणी से संबंधित माना जाएगा। ओमआर उत्तर शीट्स मशीन द्वारा पढ़ी जाती हैं , इसलिए, किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल होने के परिणामस्वरूप शून्य अंक प्राप्त होंगे। अपने स्वयं के हित में उम्मीदवारों को प्रश्न पुस्तिका/ ओएमआर उत्तर शीट पर दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। निर्देशों के गैर अनुपालन के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रश्नपत्र - 1 में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न बराबर --- अंक के होंगे। कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

- 8) परीक्षा पत्र के भीतर 7 दिनों के भीतर [www.fcicgjobs.com](http://www.fcicgjobs.com) में प्रश्नपत्र में विसंगतियों को संज्ञान में लाया जाना चाहिए। उसके बाद प्रस्तुत किए गए विवरणों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 9) आवेदनों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, लिखित परीक्षा के लिए बुलावा पत्र जारी करने से पहले पात्रता, श्रेणी और



- अन्य पहलुओं की जांच नहीं की जाएगी।
- 10) अपने स्वयं के हित में उम्मीदवारों को अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी को सही ढंग से प्रदान करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह भविष्य के सभी पत्राचारों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- 11) निर्दिष्ट रूप से सभी उम्मीदवारों के लिए किसी भी अपवाद के बिना अपने फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है।
- 12) क्रमशः अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और पीडब्ल्यूडी/ पीएच प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अनुलग्नक, अनुलग्नक ए, बी और सी में संलग्न किए गए हैं। अभ्यर्थी यह ध्यान में रख सकते हैं कि नामांकित पत्र/ वेबसाइट पर लिखित परीक्षा के आधार पर उनके चयनित होने के मामले में अन्य आवश्यक संलग्नकों के साथ इन प्रमाण पत्रों/ दस्तावेजों को भेजे जाने/ अपलोड करने की आवश्यकता है, जिसे निर्दिष्ट वेबसाइट [www.fcicgjobs.com](http://www.fcicgjobs.com) माध्यम से सूचित/ अधिसूचित किया जाएगा। अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ पीडब्ल्यूडी/ पीएच उम्मीदवार जो शुल्क छूट की मांग कर रहे हैं, उन्हें आवेदन शुल्क से छूट के प्रमाण के रूप में ऊपर बताए अनुसार प्रासंगिक दस्तावेज/ प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। अनारक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित पुरुष उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट नहीं दी जाती है, इस स्तर पर कोई प्रमाणपत्र/ दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
- 13) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को चयनित क्षेत्र में परीक्षा केन्द्रों में से किसी एक का चयन करना चाहिए।

केंद्र नाम	केंद्र कोड
अंबिकापुर	01
बिलासपुर	02
दुर्ग	03
जगदलपुर	04
रायगढ़	05
रायपुर	06

- 14) किसी भी परिस्थिति में परीक्षा के केंद्र में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को ध्यान से केंद्रों का चयन करना चाहिए और उनके आवेदनों में इन्हें सही ढंग से इंगित करना चाहिए।  
कृपया ध्यान रखें: - निगम वरीयता ड्रॉप डाउन में परीक्षा के लिए किसी भी निर्धारित शहर / केंद्र को आवंटित करने का अधिकार (उल्लेख किये गए / उल्लेख नहीं किये गये) को सुरक्षित रखता है।
- 15) निगम किसी भी केंद्र को रद्द करने और उस केंद्र के उम्मीदवारों को दूसरे केंद्र से परीक्षा देने हेतु प्रस्तुत होने के निर्देश जारी करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। निगम परीक्षा लेने के लिए किसी भी केंद्र के उम्मीदवारों को किसी अन्य केंद्र हेतु निर्देशित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।
- 16) केवल आवेदन प्रस्तुत करने और पात्रता शर्तों को पूर्ण करना, किसी भी व्यक्ति को लिखित परीक्षा आदि में उपस्थित होने का कोई अधिकार नहीं प्रदान करता है।
- 17) पात्रता शर्तों की पूर्ति के बिना किसी भी पद के लिए लिखित परीक्षा में योग्यता, शारीरिक सबलता परीक्षण, पद हेतु अंतिम रूप से चयन के लिए उम्मीदवार के किसी भी दावे को आधार प्रदान नहीं करेंगे।

#### 18) टाई के मामलों का प्रस्ताव:

एक विशेष पद में टाई के मामले में, टाई का समाधान निम्नानुसार किया जायेगा: प्रक्रिया जन्म की तारीख से अनुसरण की जाएगी। अर्थात् आयु में उम्र के उम्मीदवार को प्राथमिकता मिलेगी। आखिरकार टाई अभी भी बनी रहती है तो टाई को अंग्रेजी के वर्णानुक्रमिक नामों की और इशारा करके हल किया जायेगा। एक उम्मीदवार जिसका नाम वर्णमाला के साथ शुरू होता है जो अंग्रेजी के वर्णानुक्रमिक क्रम में सबसे पहले आता है, उसे वरीयता प्राप्त होगी।

- 19) उम्मीदवारों को एफसीआई के आतिरिक्त निर्देशों का पालन करना चाहिए, यदि कोई है तो।
- 20) इन रिक्तियों को भरना भारती प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले किसी भी मुकदमेबाजी के परिणाम के आधीन है
- 21) आवेदन पत्र के परिणाम के बारे में किसी भी स्तर पर कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।
- 22) सभी नियुक्ति समय-समय पर निगम के नियमों और विनियमों के आधीन होंगे। अन्य लाभ जैसे सीपीएफ, ग्राचुइटी, एलटीसी, नकदीकरण छोड़ना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि समय-समय पर संशोधित निगम के अनुसार लागू

होंगे।

- 23) लिखित परीक्षा और शारीरिक सहनशक्ति परिक्षण के लिए कोई यात्रा /दैनिक भत्ता नहीं दिया जायेगा।
- 24) \*अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र केवल एक बार प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है।कई आवेदनों के मामले में, उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जायेगा।
- 25) \*भरे हुए आवेदन पत्र या कोई अन्य सहायक दस्तावेजों की छपाई/ हार्ड कॉपी नहीं लिखित परीक्षा और / या शारीरिक परीक्षा के आधार पर शोर्ट लेटीरिंग से पहले नहीं भेजा जाना चाहिए,जब तक की विशेष रूप से प्रस्तुत करने को न कहा जाये।
- 26) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि 01.08.2017 को सभी पात्रता मानदंड, जैसे योग्यता,अनुभव,आयु आदि को पूरा किया जाये,उम्मीदवारों को स्वयम को संतुष्ट करना चाहिए की वे आवेदन करने से पहले आवश्यक योग्यता,आयु और अनुभव आदि को पूरा करते हैं। यदि ऐसा पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की जानकारी किसी भी तरह से दोषपूर्ण है या जानबुझ कर की गयी है तो उम्मीदवार को अंतिम रूप से खारिज किया जायेगा.और जब प्रबंधन के नोटिस की बात आती है तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तुत जानकारी की शुद्धता के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट हो.किसी भी स्तर पर अपात्र पाए जाने पर उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।
- 27) लिखित परीक्षा और शारीरिक सहनशक्ति परिक्षण कालिंग के लिए प्रवेश पत्र जारी करने से उम्मीदवारों को स्वीकृति देने का कोई अधिकार नहीं मिलता है और पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।यह एफसीआई के साथ रोजगार के लिए किसी व्यक्ति को अपात्र अधिकार नहीं देता है।
- 28) उम्मीदवार जो सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं,को मेरिट सूचि के अनुसार नियुक्ति का प्रस्ताव सर्वव्यापी के रूप में जारी किया जायेगा।
- 29) नामांकित उम्मीदवारों नियुक्ति के लिए जहाँ भी लागू हो, उन्हें मेडिकल फिट,वर्णऔर पूर्वजों की सत्यापन और जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराना होगा।
- 30) वेबसाइट पर आवेदन दर्ज करने / जमा करने से पहले, उम्मीदवारों को विज्ञापन / वेबसाइट में दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए और निम्नलिखित को उनके पास होना चाहिए:
- a. मान्य ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर: भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर मान्य / सक्रिय रहने चाहिए। ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार स्वयमेव गलत या समाप्त हो चुकी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर के लिए जिम्मेदार होंगे।
  - b. फोटोग्राफ़: एक हालिया रंगीन पासपोर्ट आकार की तस्वीर , जो कि सफेद पृष्ठभूमि में खींची जाए , जो तीन माह से ज्यादा पुरानी न हो , ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान में स्कैन और अपलोड की जानी है। तस्वीर के लिए फ़ाइल का आकार 80केबी-100केबी के बीच होना चाहिए।
  - c. हस्ताक्षर: सफेद पृष्ठभूमि में हस्ताक्षर (काले स्याही से) को ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान और वेबसाइट पर दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार , स्कैन और अपलोड किया जाना है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी चरणों और / या स्थानों पर भर्ती प्रक्रिया में हस्ताक्षर समान हैं। यदि हस्ताक्षरों में कोई भी भिन्नता पाई जाती है , तो उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। उम्मीदवार को अपने

अपलोड किए गए हस्ताक्षर के विषय में पुष्टि करने के लिए सलाह दी जाती है कि वह उचित जगह पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे। फाइल का आकार 50केबी-80केबी के बीच होना चाहिए।

d. आवेदन शुल्क के छूट के लिए प्रमाणन: अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी / पीएच उम्मीदवार जो शुल्क छूट की मांग कर रहे हैं, उन्हें आवेदन शुल्क से छूट के प्रमाण के रूप में ऊपर बताए अनुसार संबंधित दस्तावेज़ / प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

- 31) आवेदन के संबंध में कोई मूल प्रमाण पत्र / दस्तावेज भेजने की आवश्यकता नहीं है , जब तक ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया जाता है। अभ्यर्थी यह भी ध्यान रख सकते हैं कि लिखित परीक्षा के आधार पर उनके चयनित होने के मामले में आवश्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज की स्वयं-साक्षात्कृत फोटोस्टेट प्रतियां नियुक्त पते / वेबसाइट पर भेजे जाने / अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे नामित वेबसाइट [www.fcicgjobs.com](http://www.fcicgjobs.com) के माध्यम से सूचित / अधिसूचित किया जाएगा। हालाँकि, साक्षात्कार / समूह चर्चा के समय मूल प्रमाण-पत्रों की जांच की जाएगी / इनको सत्यापित किया जाएगा।
- 32) विभागीय उम्मीदवार यह नोट कर सकते हैं कि उनकी उम्मीदवारी अपने नियोक्ता से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने के अधीन है, जिसे लिखित परीक्षा के आधार पर उनके चयनित होने पर अन्य अनिवार्य संलग्नकों के साथ नामित पते / वेबसाइट पर भेजे जाने / अपलोड करने की आवश्यकता होगी , जिसे निर्दिष्ट वेबसाइट [www.fcicgjobs.com](http://www.fcicgjobs.com) के माध्यम से सूचित / अधिसूचित किया जाएगा।
- 33) किसी भी तरह से निगम को प्रभावित करने का कोई भी प्रयास उम्मीदवारी के निरस्त होने और इसके अस्वीकृत हो जाने का परिणाम उपस्थित करेगा।
- 34) भर्ती प्रक्रिया पर किसी प्रकार के स्पष्टीकरण के मामले में , कृपया [fciraipurquery@gmail.com](mailto:fciraipurquery@gmail.com) पर ई-मेल करें। संचार के किसी अन्य माध्यम को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। हालाँकि , किसी भी ऐसे प्रश्न की लंबितता भर्ती प्रक्रिया की निर्धारित तारीखों के विस्तार को प्रभावित नहीं करेगी।
- 35) अनुमोदित उम्मीदवारों की नियुक्ति उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वस्थ होने और जहां भी लागू हो , चरित्र, पूर्ववर्ती वृत्तान्त और जाति के सत्यापन आदि के पूर्ण होने के अधीन है।
- 36) परीक्षा के संचालन और मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित सभी मामलों में निगम का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में किसी भी प्रकार की जांच / पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 37) कोई भी व्यक्ति उस नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा , जो पहले से निलंबित हो चुका हो या अनिवार्य रूप से निगम की सेवा से या राज्य के एक विभाग या केंद्र सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से सेवानिवृत्त हो चुका हो।
- 38) कोई भी ऐसा व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा , जिसे नैतिक विषमता से जुड़े किसी अपराध के लिए न्यायालय में दोषी ठहराया गया है।
- 39) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी (पीएच) और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, जो कि उनके दावे के समर्थन में उचित प्राधिकरण से प्राप्त जाति / विकांगता प्रमाणपत्र अपलोड करने के अधीन है।

- 40) एक बार भुगतान की गई फीस किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं की जाएगी. इसलिए आवेदन पत्र आवेदन करने और आवेदन शुल्क का भुगतान करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी पात्रता सत्यापित करने का अनुरोध किया जाता है।

**अनुसूचित जाति / अनुसूचितजनजाति  
प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप**

एक उम्मीदवार जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित होने का दावा करता है, उसे जिले, जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) आम तौर पर निवास करते हैं , के जिला अधिकारी या उप-विभागीय अधिकारी या जैसा कि नीचे उल्लिखित है, जिले के किसी अन्य अधिकारी से नीचे दिए गए फार्म में एक प्रमाण पत्र की एक साक्षांकित / प्रमाणित प्रति जमा करनी चाहिए, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। यदि दोनों अपने माता-पिता मर चुके हैं , तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें उम्मीदवार अपनी शिक्षा के उद्देश्य से न रहकर, स्वयंके निवास के उद्देश्य से रहता है। जहां भी फोटोग्राफ प्रमाण पत्र का एक अभिन्न अंग है , निगम ऐसे प्रमाण पत्रों की केवल साक्षांकित फोटोकॉपी स्वीकार करेगा और न कि अन्य कोई साक्षांकित या वास्तविक प्रति।

(अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी\* \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री-ग्राम/कस्बा\* \_\_\_\_\_ जिला/मंडल\* \_\_\_\_\_ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश\* \_\_\_\_\_ के निवासी \_\_\_\_\_ जाति/जनजाति से सम्बंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति\* के रूप में मान्यता प्राप्त है: -

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 \_\_\_\_\_

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 \_\_\_\_\_

संविधान (अनुसूचित जाति) केंद्र शासित प्रदेश आदेश \_\_\_\_\_, 1951\*

संविधान (अनुसूचित जनजाति) केंद्र शासित प्रदेश आदेश, 1951\* \_\_\_\_\_

जैसा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची (संशोधन) आदेश , 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम , 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित किया गया है।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 \_\_\_\_\_

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) , 1976 द्वारा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959\*

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962

संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962@

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@

संविधान (गोवा , दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश \_\_\_\_\_, 1968@

संविधान (गोवा , दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश \_\_\_\_\_ 1968@

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978 @

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति के आदेश 1978 @

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989@

संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@

संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991@

संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1996

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम ,  
2002

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम , 2002% 2. अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों, जो एक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से चले गए हैं, के मामले में लागू होने योग्य।

यह प्रमाणपत्र श्री/श्रीमती.....पिता/माता.....श्री/श्रीमती/कुमारी .....निवासी ग्राम/कस्बा\*.....जिला/मंडल\*.....राज्य/केंद्र शासित प्रदेश\*.....को जारी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया गया है जो ..... जाति/जनजाति से सम्बंधित है जिसे राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, दिनांक .....को .....द्वारा जारी।

% 3. श्री/श्रीमती/कुमारी और/या\* उनका परिवार सामान्य तौर पर ग्राम/कस्बा \*.....जिला/मंडल\*.....राज्य/केंद्र शासित प्रदेश\*..... के निवासी हैं

हस्ताक्षर.....

\*\*पद.....

(कार्यालय की मुहर के साथ)

स्थान.....

दिनांक.....

\* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू नहीं होते हैं

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश का हवाला दें

% पैराग्राफ हटाएं जो लागू नहीं होते हैं।

नोट: यहां इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्यतया निवासी शब्द का अर्थ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 की धारा 20 के समान ही होगा।

**\*\* जाति / जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शक्तियुक्त अधिकारियों की सूची:**

- I. जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उप आयुक्त / उपायुक्त कलेक्टर / प्रथम श्रेणी अधिपति मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट
- II. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट / प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट
  - I. राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के रैंक के नीचे न हों।
  - II. उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/ या उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है

नोट: तमिलनाडु राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातिके उम्मीदवारों को सिर्फ राजस्व विभाग के अधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना।

## अनुलग्नक-बी

भारत सरकार के तहत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत कियाजाने वाला प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_ ग्राम/कस्बा \_\_\_\_\_ जिला/मंडल \_\_\_\_\_ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश \_\_\_\_\_ के निवासी \_\_\_\_\_ समुदाय से सम्बंधित हैं जिसे भारत सरकार , सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की संकल्प सं. \_\_\_\_\_ दिनांकित \_\_\_\_\_ \* के तहत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कुमारी और/या \* उनका परिवार सामान्य तौर पर जिला/मंडल \* ..... राज्य/केंद्र शासित प्रदेश\* ..... के निवासी हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ओ.एम. सं. 36012/22/93 - ईएसटीटी (एससीटी) दिनांक 8.9.1993 \*\* भारत सरकार के अनुच्छेद के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों / वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिला मजिस्ट्रेट के उप आयुक्त आदि

दिनांक:

मुहर

---

\*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकरण को भारत सरकार के प्रस्ताव के विवरण का उल्लेख करना होगा , जिसमें उम्मीदवार की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित है।

\*\*जैसा कि समय समय पर संशोधित हो।

नोट: यहां इस्तेमाल किए जाने वाले “सामान्यतया” शब्द का अर्थ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1950 की धारा 20 के समान ही होगा।

### अनुलग्नक- सी

विकलांग / शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए प्रमाणपत्र का प्रारूप, संस्थान / अस्पताल का नाम और पता प्रमाणपत्र

संख्या.....दिनांक

विकलांगता प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी\_\_\_\_पुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री.....आयु.....लिंग.....पहचान चिन्ह/चिन्हों.....सहित निम्नलिखित श्रेणी की स्थाई प्रकार की विकलांगता से पीड़ित हैं:-

#### A) लोकोमोटर या सेरेब्रल पाल्सी:

- (i) बीएल-दोनों पैर प्रभावित लेकिन भुजाएँ नहीं।
- (ii) बीए- दोनों भुजाएँ प्रभावित (a) पहुँच में बाधा (b) पकड़ में कमजोरी
- (iii) बीएलए- दोनों पैर और दोनों भुजाएँ प्रभावित
- (iv) ओएल- एक पैर प्रभावित (बायाँ या दायाँ) (a) पहुँच में बाधा (b) पकड़ में कमजोरी (b) गतिविध्रमी
- (v) ओए- एक भुजा प्रभावित (a) पकड़ में कमजोरी (b) पकड़ में कमजोरी (c) गतिविध्रमी
- (vi) बीएच- पीठ और कूल्हों में अकड़न (झुक या बैठ नहीं सकते)
- (vii) एम्डब्ल्यू- मांसपेशियों की कमजोरी और सीमित शारीरिक सबलता

चिकित्सीय बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत साक्षात्कृत विकलांगता को दिखाने वाली हाल की ही रंगीन फोटोग्राफ यहाँ संलग्न करें

#### B) अन्धता या कम दृष्टि

- (i) बी- नेत्रहीनता
- (ii) पीबी आंशिक रूप से नेत्रहीन

#### C) श्रव्यता में बाधा

- (i) डी- बधिर
- (ii) पीडी आंशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटाएं, जो लागू नहीं है)

2. यह स्थिति प्रगतिशील / अप्रगतिशील / सुधार की संभावना सहित / सुधार की संभावना रहित है। इस मामले की पुनरीक्षा की अनुसंधान.....महीने .....वर्ष की अवधि के बाद नहीं की जाती है / की जाती है।\*

3. इनके मामले में विकलांगता का प्रतिशत ..... प्रतिशत है।



4. श्री/श्रीमती/कुमारी.....अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता/करती है:

- |   |          |
|---|----------|
| (i) एफ- उंगलियों सेहिला डुला करकाम कर सकते हैं    | हाँ/नहीं |
| (ii) पीपी- खींचकर और धक्का लगाकरकार्य कर सकते हैं | हाँ/नहीं |
| (iii) एल-उठाकर कार्य कर सकते हैं                  | हाँ/नहीं |
| (iv) केसी- घुटना टेककर और चढ़कर कार्य कर सकते हैं | हाँ/नहीं |
| (v) बी- झुककर कार्य कर सकते हैं                   | हाँ/नहीं |
| (vi) एस- बैठकर कार्य कर सकते हैं                  | हाँ/नहीं |
| (vii) एसटी- खड़े रहकर कार्य कर सकते हैं           | हाँ/नहीं |
| (viii) डब्ल्यू- घूमकर कार्य कर सकते हैं           | हाँ/नहीं |
| (ix) एसई- देखकर कार्य कर सकते हैं                 | हाँ/नहीं |
| (x) एच- सुनकर/बोलकर कार्य कर सकते हैं             | हाँ/नहीं |
| (xi) आरडब्ल्यू- पढ़कर और लिखकर कार्य कर सकते हैं  | हाँ/नहीं |

(डा. \_\_\_\_\_) (डा. \_\_\_\_\_) (डा. \_\_\_\_\_) सदस्य, चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक /

सीएमओ /

अस्पताल

के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (मुहर के साथ)

\* जोलागूनहोउसेअमान्यमानें।

**(सुरक्षा कर्मियों की सेवा के लिए प्रमाण पत्र का फॉर्म)**

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि, मेरे साथ उपलब्ध जानकारी (नम्बर) के अनुसार

..... (रैंक) ..... (नाम)

..... सशस्त्र बल के साथ निर्दिष्ट अवधि के कार्यालय को पूरा

करने की अवधि (दिनांक).....

स्थान:

(कमांडिंग ऑफिसर के

हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय मुहर

आरक्षण के अंक संख्या 6 के अंतर्गत कवर किये गए अभ्यर्थी और नोटिस के छुट के तहत  
दिए गए सहमति

मैं समझता /समझती हूँ की यदि आवेदनों से सम्बंधित भर्ती / परीक्षा के आधार पर चयन किया जाता है तो मेरी नियुक्ति प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए मेरी प्रस्तुति दस्तावेजी साक्ष्य के अधीन होगी, जिसे मैं सशस्त्र बलों से विधिवत जारी / सेवानिवृत्त / निर्वहन किया गया है और मैं पूर्व सैनिकों के मामले में पूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य लाभ के हकदार हूँ।(समय-समय पर संशोधन के रूप में केंद्रीय नागरिक सेवाओं और बाद के नियमों, 1979में पुनः रोजगार)।

मैं यह भी समझता हूँ कि इस परीक्षा में शामिल भर्ती के सम्बन्ध में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्त पद के लिए मैं नियुक्ति के योग्य नहीं होगा, यदि मुझे इस तरह की नियुक्ति से पहले किसी भी समय से,(सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय,वैधानिक निकाय,राष्ट्रीयकृत बैंक,आदि)पूर्व सैनिकों के लिए स्वीकार्य रिक्तिओं की रियायत का लाभ उठाकर।

मैं निम्नलिखित जानकारी जमा करता हूँ :

अ) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तारीख \_\_\_\_\_

बी)मुक्ति की तारीख \_\_\_\_\_

सी) सशस्त्र बलों में सेवा की लम्बाई \_\_\_\_\_

डी) मेरी अंतिम इकाई/ कोर \_\_\_\_\_

स्थान:

दिनांक:

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)